उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-8/2017/135/37-1-2017-03(04)/2016

लखनऊः दिनांक 24 अप्रैल, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 सर्वेश कुमार, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी, न्यूरिया, पीलीभीत के विरूद्ध मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पीलीभीत द्वारा आहूत बैठक में मदिरापान कर उपस्थित होने तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अभद्रता करने आदि आरोपों के लिए कार्यालय आदेश संख्या-527/37-1-2016-3(04)/2016, दिनांक 29-04-2016 द्वारा निलम्बित किया गया तथा कार्यालय आदेश संख्या- 1268/37-1-2016-3(04)/2016, दिनांक 29-04-2016 द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को जाच अधिकारी नामित किया गया।

2- डा0 सर्वेश कुमार के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी की जांच आख्या निदेशक, पशुपालन विभाग के पत्र संख्या- 20/स्था0-3/53डी(680), दिनांक 20-01-2017 द्वारा प्राप्त हुई। जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत डा0 सर्वेश कुमार के विरूद्ध कोई आरोप सिद्व नहीं पाया गया है। अत: डा0 सर्वेश कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, न्यूरिया, पीलीभीत को सवेतन सेवा में बहाल करते हुये उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा बिना दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुखसचिव

संख्या-8/2017/135(1)/37-1-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल बरेली द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग।
4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पीलीभीत द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास।
5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0 त्रिवेदी
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।